तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	न... अ... हुक...
1-2-18	वकील उभयपक्ष उपस्थित हैं। T.I. प्रा०पत्र पर वकील उभयपक्ष को सुना गया। वकील प्रार्थी का कहना है कि भूमि वादग्रस्त प्रार्थी की कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि है जिसमें अप्रार्थीगण बाधा उत्पन्न करते हैं। अतः इन्हें अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। वकील अप्रार्थीगण का कथन है कि ख०नं० 70 गै०मु० चाह गलत रूप से प्रार्थी के नाम लग गया है जबकि यह चाह ख०नं० 69 में स्थित है जो अप्रार्थीगण के कब्जे काश्त में है। इसलिए T.I. प्रा०पत्र खारिज फरमाया जावे। बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण ने ख०नं० 70 गै०मु० चाह के सम्बन्ध में अपना काउन्टर क्लेम पेश किया है जिसका निर्धारण मूल वाद में विस्तृत साक्ष्य व दस्तावेजों के आधार पर होना है, यहां T.I. प्रा०पत्र में हम वादग्रस्त भूमि की मौका व रिकार्ड की तार्फैसला दावा यथास्थिति बनाए रखना उचित समझते हैं। अतः T.I. प्रा०पत्र इसी प्रकार निर्णित किया जाता है एवं उभयपक्षकारान को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वे वादग्रस्त भूमि ख०नं० $\frac{70}{0.02}$ एवं $\frac{71}{0.57}$ ग्राम बाढ बिचला की तार्फैसला दावा मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे। (हस्ताक्षर) बाबू लाल जाट उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी (स०मा०)	